पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2009 ई0 (ज्येष्ठ 30, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–25

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	197–228	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	221–223	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शिक्षा अनुभाग–6

अधिसूचना

09 जून, 2009 ई0

संख्या–69/उच्च शिक्षा विभाग–राज्यपाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2005) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए निम्नवत् प्रथम परिनियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रथम परिनियमावली, 2009

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2009 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएं–

जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यापक की आयु" से, संबंधित अध्यापक की जन्मतिथि जो कि अध्यापक की हाई स्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा के प्रमाण–पत्र में उल्लिखित है, संगणना की तारीख तक, संगणित अभिप्रेत है;

(ग) "खण्ड" से परिनियम का वह खण्ड अभिप्रेत है, जिसमें उक्त पद आया है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ड.) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(च) "विश्वविद्यालय" से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(छ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस परिनियमावली में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

अध्याय–दो

कुलाधिपति की शक्तियां

3–कुलाधिपति की शक्तियां [धारा 10 (4)]–

(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिन्हें वह आवश्यक समझें, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।

(2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे :–

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पदत्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी,

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो,

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में :

परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय–समय पर बढा सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–तीन

कुलपति

4–कुलपति की नियुक्ति, पदावधि, परिलब्धियां और शक्तियां तथा कृत्य [धारा–11(1)]–

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात्:–

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।

(3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से,जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं, तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेंगे, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा :

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

(10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) कुलपति–

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।

(14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(15) कुलपति को कार्य परिषद्, योजना बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त–समिति तथा सभी अन्य सांविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(16) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु अग्रत्तर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय–व्ययक में न की गयी हो।

(18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जायें।

(19) कुलपति,–

(एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जाये;

(दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हों, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है;

(तीन) समय–समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;

(चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।

अध्याय–चार

निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी

5–निदेशक (धारा 12)–

(1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किये जायेंगे। निदेशक विद्या शाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे।

(2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलब्धियाँ इत्यादि ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं।

6–कुलसचिव की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य (धारा 13)–

(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा।

(2) कुलसचिव की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं।

(3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य परिषद्, योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा:-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष।

(7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियत्रंण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(8) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;

(ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसी समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

7-वित्त अधिकारी की सेवा शर्तें, शक्तियों और कर्तव्य [धारा (14)]-

(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलब्धियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम–निर्दिष्ट किसी एक विद्या–शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाये।

(3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:–

(क) कार्य परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा;

(ख) विश्वविद्यालयों के क्रिया–कलापों से संबधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों;

(ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण;

(घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए;

(ङ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो;

(च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;

(झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना;

(ञ) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना;

(ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपभोज्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है;

(ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;

(ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे;

(ण) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;

(त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य–परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(थ) विश्वविद्यालय के लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हो, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हों, के कार्य का पर्यवेक्षण करना।

(4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8–परीक्षा नियंत्रक की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य (धारा 15)–

परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा :

परन्तु यह कि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा।

(1) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायं।

(2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य–परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या–शाखा या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

अध्याय–पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

9–कार्य–परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एवं शक्तियां (धारा 17)–

(1) कार्य–परिषद् में निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक	सदस्य
(ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य	सदस्य
(घ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य	सदस्य
(ङ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक	सदस्य

(च) कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं :

(एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
(दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति	सदस्य

(छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम–निर्देशिती जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो; — सदस्य

(ज) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि — पदेन सदस्य

(2) कुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए कार्य परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु यह कि यदि इस परिनियम में (ख) से (ङ) तक के पदेन सदस्यों में चक्रानुक्रम में चयन के लिए अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ज्येष्ठता क्रम में ही पुनः किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) कार्य–परिषद् के सदस्यों की पदावधि का आरम्भ, चयन या नाम–निर्देशन की तिथि से प्रारम्भ होगा।

(4) कार्य–परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, कार्य–परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा की जाएगी।

(5) परिनियम 9 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम–निर्देशित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह स्नातक न हो।

(6) कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु यह कि इस परिनियम की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी हॉल या छात्रावास के अधीक्षक या अभिरक्षक (वार्डन) अथवा कुलानुशासक (प्रॉक्टर) या उप शिक्षक (ट्यूटर) के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(8) कार्य–परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यापकों और शिक्षणेत्तर पदों का सृजन करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(चार) यथास्थिति, शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;

(पांच) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की अस्थायी रिक्तियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;

(छः) अतिथि आचार्यों प्रतिष्ठित (इमेरिटस) आचार्य, कलाकारों और पाठ्यक्रम लेखकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और अध्यादेशों में विहित मानदेय के आधार पर ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों को अवधारित करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अतिरिक्त धन को, ऐसी प्रतिभूतियों में, जैसा वह ठीक समझे या विश्वविद्यालय के विकास के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही वित्त–समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जायेगी;

(आठ) अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुसार अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग में अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें, शिकायतों पर विचार करना, न्यायनिर्णीत करना और शिकायतों को दूर करना;

(दस) वित्त समिति के अनुमोदन से पाठ्यक्रम लेखकों, संविदा व्यक्तियों, परीक्षकों और अन्वेषकों को देय पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य भत्तों को नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के प्रयोग की व्यवस्था करना;

(बारह) अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति संस्थित करना;

(तेरह) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना और निरसित करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के लिए बजट तैयार करना;

(पन्द्रह) विभिन्न कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों और अन्य विषयों के लिए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम फीस, परीक्षा फीस और अन्य फीस/प्रभार विहित करना।

10–विद्या–परिषद् का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा–18)–

(1) विद्या–परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) विद्या–शाखाओं में सभी निदेशकगण	सदस्य
(तीन) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक	सदस्य
(चार) पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
(पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो	सदस्य
(छः) ऐसी रीति में, जैसा विद्या–परिषद् उचित समझे, सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति	सदस्य
(सात) कुलसचिव	सदस्य/सचिव

(2) किसी बैठक की गणपूर्ति विद्या–परिषद् के आठ सदस्यों द्वारा होगी।

(3) कुलपति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या–परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(4) कोई भी सदस्य दो से अधिक क्रमवर्ती पदावधि के लिये नामित नहीं किया जायेगा।

(5) विद्या–परिषद् की अन्य शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और अनुदेश की पद्धतियों या शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

(ख) योजना बोर्ड या विद्या शाखा या कार्य–परिषद् से किसी निर्देश पर या स्वप्रेरणा से सामान्य हित के मामलों पर विचार करना ; और

(ग) शिक्षा संबंधी सभी विद्या–शाखा मामलों पर कार्य–परिषद् को परामर्श देना।

11–योजना बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 19)–

(1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) अध्यापकवर्ग में से, ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चार व्यक्ति	सदस्य
(तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य–परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों :–	सदस्य

(क) वाणिज्यिक प्रबंधन;

(ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियां;

(ग) विज्ञान/मानविकी/समाज विज्ञान/पर्यावरण;

(घ) दूरस्थ शिक्षा; और

(ङ) वाणिज्य तथा उद्योग।

(2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अन्तराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होंगी।

(ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।

(4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य–परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा–परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य–परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

12–मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य [धारा 2 (ख)]–

(1) मान्यता बोर्ड निम्नवत संरचित होगा :–

(एक)	कुलपति	अध्यक्ष
(दो)	प्रत्येक विद्या–शाखा का निदेशक	सदस्य
(तीन)	कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये गये विद्या–परिषद् के दो सदस्य	सदस्य
(चार)	कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट योजना बोर्ड का एक सदस्य	सदस्य
(पांच)	कार्य–परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया गया कार्य–परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(छः)	कुलसचिव	सदस्य सचिव

(2) मान्यता बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विद्या–परिषद् और कार्य–परिषद् के अनुमोदन से संस्थाओं की मान्यता के लिए मानक निर्धारित करना;

(ख) कुलपति द्वारा उसको निर्दिष्ट किये गये संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदनों का परीक्षण करना और अपनी संस्तुतियों को विद्या–परिषद् को प्रस्तुत करना;

(ग) ऐसी संख्या में, जैसी आवश्यक हो, समितियां नियुक्त करना;

(घ) ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना, जो उसे विद्या–परिषद् द्वारा सौंपे जायं।

13–अध्ययन केन्द्र (विद्या शाखा), बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 20)–

(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित विद्या शाखाऐं होंगी, अर्थात् :–

(क) मानविकी,

(ख) समाज विज्ञान,

(ग) प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य,

(घ) विज्ञान,

(ङ) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान,

(च) भाषा विज्ञान,

(छ) पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलॉजी),

(ज) ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्या शाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये :

परन्तु यह कि कार्य–परिषद् द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्या शाखा कार्य करना आरम्भ करेंगी।

(2) कार्य–परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।

(3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) विद्या शाखा का निदेशक	अध्यक्ष
(ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य	सदस्य
(ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य	सदस्य
(घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक	सदस्य

(4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।

(5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।

(6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(एक) विद्या शाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;

(दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना;

(तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ–समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन;

(चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विद्याओं के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीक्षकों और अनुसंगकों (मॉडरेटर्स) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना;

(पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;

(छः) उप शिक्षकों (ट्यूटरों) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/ पुनश्चर्या/ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;

(सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;

(आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विद्याओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य–प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या–परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;

(नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय–समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;

(दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;

(ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य–परिषद्, विद्या–परिषद्, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं, और

(बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को, जो समय–समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जायं, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

(7) मानविकी विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी:–

(1) संस्कृत और प्राकृत भाषा,
(2) हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं,
(3) अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं,
(4) दर्शनशास्त्र,

(5) मनोविज्ञान,
(6) अर्थशास्त्र,
(7) प्राच्य विद्या,
(8) पत्रकारिता एवं जनसंचार,
(9) उर्दू,
(10) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान।

(8) समाज विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :–

(1) राजनीति शास्त्र,
(2) प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विज्ञान,
(3) मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास,
(4) समाज विज्ञान,
(5) समाज कार्य,
(6) लोक प्रशासन।

(9) प्रबंधन अध्ययन, विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :–

(1) वाणिज्य,
(2) प्योर एंड एप्लाइड इकोनोमिक्स (विशुद्ध एवं अनप्रयुक्त अर्थशास्त्र),
(3) व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन,
(4) वित्तीय विश्लेषण एवं लेखाशास्त्र।

(10) विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :–

(क) रसायन,
(ख) भौतिकी,
(ग) गणित,
(घ) वनस्पति,
(ङ) वानिकी,
(च) प्राणि विज्ञान,
(छ) भूगोल।

(11) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :–

(क) कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी,

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी।

(12) भाषा विज्ञान

(13) पर्यटन, आतिथ्य सेवा एवं होटल प्रबंध विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :–

(क) पर्यटन,

(ख) आतिथ्य सेवा, होटल मैनेजमेंट एण्ड खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलॉजी)

14–वित्त समिति और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 21)–

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी	सदस्य
(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी	सदस्य
(च) कार्य–परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो	सदस्य

(2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(3) वित्त समिति, कार्य–परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य–परिषद् पर बाध्यकर होगी।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य–परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य–परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्य–परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) यदि कार्य–परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, तो कार्य–परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति की प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

15–परीक्षा समिति–

(1) परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक)	कुलपति	अध्यक्ष
(दो)	शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक	सदस्य
(तीन)	शैक्षिक परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(चार)	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य–परिषद का एक सदस्य	सदस्य
(पांच)	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

(2) परिनियम 15(1) के (तीन) एवं (चार) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

(3) परीक्षा समिति की बैठकें कुलपति द्वारा, जैसे और जब आवश्यक हों, बुलायी जायेंगी।

(4) परीक्षा समिति विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिनके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:–

(क) अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और अनुमोदन के लिए उसे विद्या–परिषद् को प्रस्तुत करना;

(ग) शैक्षिक–परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की घोषणा करना;

(घ) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्या–परिषद् से सिफारिश करना।

(5) परीक्षा समिति परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने के लिए उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।

(6) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या उपसमिति को, जिसे परीक्षा समिति के परिनियम 15 के खण्ड (5) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति प्राधिकृत की हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की शक्ति होगी।

16–अन्य प्राधिकारी–

(1) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगें :–

(2) प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन, शक्तियां और कृत्य नीचे दिये गये है :–

(एक) अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) अध्ययन बोर्ड के सभी आचार्य;

(ख) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो उपाचार्य;

(ग) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो प्राध्यापक;

(घ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये छः नामों की नामिका (पैनल) में से विद्या–परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ :

परन्तु यह कि यदि अध्ययन बोर्ड या विद्या–परिषद् विशेषज्ञों के नामों को प्रस्तुत करने में विफल रही है, तो कुलपति तीन विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(दो) अध्ययन बोर्ड को निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन की शक्ति होगी:–

(क) विषय में प्रदान किये जाने वाले पाठ्यक्रम तैयार कर निर्माण करना और उसे विद्या शाखा के बोर्ड को उसके विचार के लिये सौंपना, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा;

(ख) अध्ययन केन्द्र के बोर्ड द्वारा यथावांछित पाठ्यक्रम लेखकों, समीक्षकों और विशेषज्ञों की पहचान करना;

(ग) शिक्षा सत्र के कार्यों के लिये परीक्षकों व अनुसीमकों की नामिका (पैनल) तैयार करना,

(घ) कुलपति द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण की माध्यम से नामावली या परीक्षा परिणामों की कम्प्यूटरीकृत निर्मिति को प्राधिकृत करना,

(ड) ऐसे विषय से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(3) अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही अध्ययन–शाखा के बोर्ड के माध्यम से विद्या–परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

17–विशेषज्ञ समितियां–

(1) कुलपति उतनी संख्या में विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है, जितनी वह उचित समझे और विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है, जो अध्ययन बोर्ड के सदस्य न हों।

(2) इस परिनियमावली के अधीन नियुक्त कोई समिति अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही कर सकती है।

(3) विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही अध्ययन केन्द्रों के बोर्ड के माध्यम से विद्या–परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

18–अनुशासनिक समिति–

(1) कार्य–परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपति और उसके समिति द्वारा या कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे :

परन्तु यह कि यदि कार्य–परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) ऐसा कोई भी अध्यापक, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला निलम्बित हो, किसी अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य–परिषद् कोई मामला किसी भी अवस्था में एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को आन्तरित कर सकती है।

(4) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:–

(क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना, जिसके विरुद्ध जांच विचाराधीन हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय–समय पर कार्य–परिषद् द्वारा सौंपे जायं।

(5) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(6) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य–परिषद् के समक्ष रखी जायेगी, जिससे कार्य–परिषद् मामले में निर्णय ले सके।

19–विषय समिति–

(1) विश्वविद्यालय में विद्या शाखा की प्रत्येक इकाई में एक विषय समिति होगी, जो इस परिनियम के अधीन नियुक्त विद्या–शाखा के निदेशक की सहायता करेगी।

(2) विषय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) विद्या–शाखा का निदेशक	अध्यक्ष
(ख) इकाई के समस्य आचार्य	सदस्य
परन्तु जहां किसी इकाई में, कोई आचार्य न हो, इकाईयों के समस्त उपाचार्य	सदस्य
परन्तु यह और कि किसी ऐसी इकाई में, जहां आचार्य और उपाचार्य दोनों न हों,	
वहां दो वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम में दो प्राध्यापक	सदस्य

परन्तु यह भी कि किसी ऐसी इकाई में जिसमें उपाचार्य और प्राध्यापक दोनों हों, वहां एक प्राध्यापक और दो उपाचार्य और किसी इकाई में जिसमें कोई उपाचार्य न हो, तो वहां ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए दो प्राध्यापक :

परन्तु अग्रत्तर यह कि किसी मामले में विनिर्दिष्ट तथा किसी विषय या विशेषज्ञता के संबंध में, उस विषय या विशेषज्ञता के ज्येष्ठतम अध्यापक को, यदि पहले से पूर्वकथित पूर्ववर्ती शीर्षों में सम्मिलित न हो, मामले के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

(3) विद्या शाखा बोर्ड के अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, विषय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:–

(क) इकाई के अध्यापकों के मध्य अध्यापक कार्य के वितरण के संबंध में संस्तुतियां करना;

(ख) इकाई के अनुसंधान और अन्य क्रिया–कलापों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना;

(ग) इकाई के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना।

(4) समिति की कम से कम तीन माह में एक बार बैठक होगी। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय–छः

विश्वविद्यालय के अध्यापक

20–अध्यापकों का वर्गीकरण–

विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:–

(क) आचार्य;

(ख) उपाचार्य;

(ग) प्राध्यापक।

21–विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की अर्हता–

प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापकों/असिस्टेन्ट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

22–उपाचार्य की अर्हता और नियुक्ति–

उपाचार्य के लिए समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविधालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

23–आचार्य के लिए अर्हताएं–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु आचार्यों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

24–रिक्तियों का अवधारण–

कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

25–रिक्तियों का विज्ञापन–

(1) कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष	सदस्य
(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और एक विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए	सदस्य

(3) चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी :

परन्तु, यह कि आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है।

(4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों मे से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।

(5) यदि कार्य–परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार करने में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलायी जायेगी।

(7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(8) (क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।

(ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

(9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है।

(10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने की तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।

26–अध्यापक वर्ग की सेवा के निबंधन और शर्तें–

परिनियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य–परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

27–परिवीक्षा–

(1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्य–परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी :

परन्तु यह और कि कार्य–परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, परिवीक्षा अवधि की शर्तों को छोड़ सकती है :

परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य–परिषद् कोई कार्यवाही करने मे विफल रहती है, तो अध्यापक, परिवीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझा जायेगा।

(3) (क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या कार्य–परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) कुलसचिव कार्य–परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय,

(4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य–परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग–पत्र दे सकता है :

परन्तु, यह कि कार्य–परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।

(5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वही होंगे, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायं।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।

(7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।

(8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।

(9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता है:–

(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,

(ख) अवचार,

(ग) सेवा संविदा की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेईमानी,

(ड.) अपवादजनक आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्ध,

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता,

(छ) अक्षमता,

(ज) पद की समाप्ति।

(10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा :

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।

(12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापक को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको–

(क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का;

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे;

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का; जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु कार्य–परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(13) कार्य–परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(15) कार्य–परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(16) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।

(17) विश्वविधालय के किसी अध्यापक को–

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसके दोषसिद्धि के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

(18) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करने का विनिश्चिय करे, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।

(19) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय–समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2 के भाग–2 के अध्याय–8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

(20) परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(21) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्त्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रुपये, इनमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

(22) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी–

(क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा,

(ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा,

(ग) कार्य–परिषद् उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होंगे :

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

28–कैरियर अभिवर्धन योजना–

(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (वयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी–एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष, अन्य के लिए छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी।

(2) उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी–एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होंगी।

(3) केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो।

(4) प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा :

परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा।

29-वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति का गठन-

(1) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) संबंधित विद्या-शाखा का निदेशक	सदस्य
(ग) दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
(घ) संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य

प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)-

(2) वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे।

प्राध्यापक (चयन वेतनमान)-

(3) चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे।

उपाचार्य (पदोन्नति)-

(4) उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे।

उपाचार्य पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन-

(5) उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा।

आचार्य (पदोन्नति)-

(6) आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे।

(7) परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन/ पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखकों पर विचार करेगी।

(8) संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य-परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। यदि कार्य-परिषद्, संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य-परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कार्य-परिषद् संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तद्नुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/उपाचार्य/ आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।

(10) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा/चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसके द्वितीय या

पश्चात्वर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुति की जाती है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति)/आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।

(11) उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों की वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।

(12) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।

(13) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(14) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी सस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हो।

(15) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसे नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(16) अभ्यर्थियों को, चयन समिति की बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसे नोटिस के प्रेषण होने की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(17) ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।

30—अध्यापकों की ज्येष्ठता—

(1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात् आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

(3) विद्या—शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या—शाखा के निदेशक के रूप मे की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा :

परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु मे ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(4) विद्या—शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा:

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

31—ज्येष्ठता अवधारण—

(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:—

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य के ज्येष्ठ समझा जायेगा और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;

(ख) एक ही संवर्ग मे पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु, यह कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य–परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी;

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।

(ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी:–

(क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा,

(ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।

(3) जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(4) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य–परिषद्–

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेगी;

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और परिनियम 25 के उपखण्ड (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगा।

(5) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

(6) कुलपति समय–समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या–शाखाओं के निदेशक होंगे :

परन्तु यह कि ऐसी विद्या–शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम–निर्दिष्ट कर सकता है।

(7) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद, ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चिय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य–परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य–परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

32–आकस्मिक छुट्टी–

(1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।

विशेषाधिकार छुट्टी–

(2) एक सत्र में दस कार्य–दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।

कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी–

(3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, को किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

दीर्घकालीन छुट्टी–

(4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है:

परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य–परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि । के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है :

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा अन्य के लिए चयन किया जाता है तो उन्हे अध्येत्तावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं, छुट्टी दी जा सकती है।

असाधारण छुट्टी–

(5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य–परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय–मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा :–

(क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा।

(ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)

(ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होना चाहिए।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार की सहमति से कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।

प्रसूति छुट्टी–

(6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी:

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

(7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

बीमारी की छुटटी–

(8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण–पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।

(9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य–परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

33–अधिवर्षिता की आयु–

(1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी :

परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

34–अन्य उपबन्ध–

(1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।

(2) परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ड.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(4) कुलपति को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी।

(5) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकता है।

अध्याय–सात

कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें

35–पुस्तकालयाध्यक्ष [धारा 30 (घ)]–

(1) विश्वविधालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष को चयन समिति की सिफारिश पर कार्य–परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे	सदस्य

(3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले, तब तक कार्य–परिषद् ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर विहित की जायें।

(5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायें।

(6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा :

परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य–परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी अध्यादेश मे अधिकथित की जायें।

(9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होंगी।

(10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

अध्याय–आठ

उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

36–मानक उपाधि प्रदान करना [धारा 5 (चार)]–

(1) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी, अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, डाक्टर आफ लेटर्स (डी0लिट0) अथवा महामहोपाध्याय की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(2) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी शाखा के अभिवर्धन अथवा नियोजन या देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के संगठन या विकास में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, डॉ0 ऑफ साइन्स (डी0एस–सी0) की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(3) ऐसे व्यक्ति को, जो प्रख्यात वकील, न्यायाधीश, ज्यूरी, राजनयिक है अथवा जनहित में उल्लेखनीय कार्य किया है, डा0 ऑफ लॉ (एल–एल0डी0) की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(4) कार्य–परिषद् स्वप्रेरण से अथवा विद्या–परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा की जाय, मानक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है :

परन्तु, यह कि किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए, अवसर दिया जायेगा। कुल सचिव उसके विरूद्ध निर्मित आरोपों की सूचना पंजीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

(6) मानक उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

अध्याय–नौ

किसी उच्च शिक्षा संस्था की मान्यता

37–(1) कार्य–परिषद् द्वारा मान्यता बोर्ड की सिफारिश पर संबंधित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति और विद्या परिषद् की संस्तुति के पश्चात् किसी संस्था को, संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी तथा प्रदत्त मान्यता, संबंधित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।

(2) मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबन्धन निम्नलिखित में निहित होगा :–

(क) संस्था का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकाय में, जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद् को दी जायेगी, या

(ख) संस्था का अनुरक्षण करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा नियुक्त निदेशक।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शोध कार्य का मार्गदर्शन संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय की डी0लिट0 या डी0एस–सी0 या एल–एलडी0 या डी0फिल0 उपाधियों हेतु मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक या सलाहकार हैं, द्वारा निर्देशन कार्य किया जायेगा।

(4) संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे ऐसे सहमत हों, संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के लिए उच्च व्याख्यानमाला उपलब्ध करा सकते हैं।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो आवश्यक अर्हता रखता है और विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु संस्थान में शोध कार्य करने का इच्छुक हो, कुलसचिव को संस्था के निदेशक के माध्यम से आवेदन करेगा। प्राप्त प्रार्थना–पत्र, अध्यादेशों के अन्तर्गत गठित शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, के अनुमोदनोपरान्त आवेदक को अध्यादेशों द्वारा विहित ऐसे शुल्क का भुगतान कर, जो अध्यादेश द्वारा विहित हो, कार्य प्रारम्भ करने के लिये अनुमति दी जाएगी।

अध्याय–दस

दीक्षान्त समारोह

38–(1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में एक बार ऐसे तारीख को और ऐसे समय, जैसा कार्य परिषद् इस निमित नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(2) कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, जिनसे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।

(4) प्रत्येक संस्था या अध्ययन केन्द्र में ऐसी तारीख को और ऐसे समय, जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पुर्वानुमोदन से नियत करे, स्थानीय दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(5) दो या दो से अधिक संस्थाएं या अध्ययन केन्द्रों के लिये, संयुक्त दीक्षान्त समारोह, परिनियम 38 के खण्ड (4) में विहित रीति से, आयोजित किया जा सकता है।

(6) इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे संबंधित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

(7) जहां विश्वविद्यालय या किसी संस्था या अध्ययन केन्द्र के दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

अध्याय–ग्यारह

अधिभार

39–अधिभार (धारा 36)–

(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्याय में–

(क) "परीक्षक का तात्पर्य" परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड सरकार से है,

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है,

(ग) "विश्वविद्यालय का अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ख) से (छ) तक के किसी भी खंड में उल्लिखित अधिकारी और इस परिनियमावली के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

(2) किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरूपयोग, जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न उस पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरूपयोग के लिए या ऐसी धनराशि के लिए, जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण ऐसी अपेक्षा के संसूचित किये जाने की तारीख से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

परन्तु, यह कि कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी–(1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जाएगी या समस्त संबंधित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के पास हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) दो सप्ताह से अनधिक युक्ति युक्त समय के अन्दर दिखाए जाएंगे।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है:–

(क) जहां व्यय, इस परिनियमावली या अधिनियम या अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है,

(ख) जहां हानि, पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना, कोई उच्चतर निविदा स्वीकार करने से हुई हो,

(ग) जहां विश्वविद्यालय को देय कोई धनराशि इस नियमावली, अधिनियम, अध्यादेशों या इनके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रेषित की गई हो,

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो,

(ङ) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(3) उस अधिकारी की लिखित मांग पर, जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, विश्वविद्यालय उसे संबंधित अभिलेखों या निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा। परीक्षक सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन–पत्र पर उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय की युक्तियुक्त अवधि बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए संबंधित, अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों में नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण–अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों, अध्यादेशों का उल्लंघन करके, की गई कोई नियुक्ति, अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग समझा जायेगा।

(3) विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लग सकता है;

परन्तु, यह कि यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणाम स्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथकतः देनदार होगा;

परन्तु यह भी कि कोई भी अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग होने की तारीख दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने की तारीख से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी बाद हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए उत्तदायी न होगा।

(4) परीक्षक द्वारा पारित अधिभार संबंधी आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को, जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के अंदर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्टि कर सकता है, उसे विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

(5) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनों से साठ दिन या ऐसे अग्रेत्तर समय के अन्दर, जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसी परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा;

परन्तु, यह कि यदि परिनियम 39 के खण्ड (4) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(6) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाएं तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।

(7) जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हों, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चों का भुगतान, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी विलम्ब के उसका भुगतान कर दे।

अध्याय–बारह

वार्षिक प्रतिवेदन

40–वार्षिक प्रतिवेदन [धारा 34 (2)]–

अधिनियम की धारा 34 के अनुसार तैयार की गई वित्तीय वर्ष विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय–तेरह

अध्यादेश और विनियम

41–अध्यादेशों और विनियमों की विरचना (धारा 32 और धारा 33)–

(1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे।

(2) इस परिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्य परिषद् समय–समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या परिनियम 41 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी;

परन्तु, यह कि ऐसा कोई अध्यादेश बनाया, संशोधित या निरसित नहीं किया जायेगा, जिससे–

(क) छात्रों के प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जानी वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रवेश के लिए और अधिक अर्हताओं को प्रभावित करें,

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या संबंधित शाखा के प्रस्ताव के सिवाय और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो, किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियां अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को परिनियम 41 के खण्ड (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्य परिषद् सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्देश दे और यथाशीघ्र कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद् को परिनियम 41 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों की अस्वीकृति से सूचित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि परिनियम 41 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अध्यादेश को अस्वीकृत करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस परिनियम के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

42—विनियमों का बनाया जाना—

(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा:—

(क) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना,

(ख) ऐसे समस्त विषयों का प्राविधान करना, जो अधिनियम, परिनियमों या, अध्यादेशों में विनियमों द्वारा विहित किये जाने हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों को बैठकों की तारीख, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों में किये जाने वाले कामकाज का अभिलेख रखने का भी प्राविधान किया जाएगा।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे, जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाये, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा;

परन्तु, यह कि यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का समाधान किसी ऐसे निर्देश से न हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्य परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विद्या शाखा बोर्ड के द्वारा उसके प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् ही विनियम बना सकेगी।

(5) विद्या परिषद् को परिनियम 42 के खण्ड (4) के अधीन विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा प्रस्तावित, किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ विचार करने के लिए वापस कर सकेगी।

परिशिष्ट 'क'

[परिनियम 27 का खण्ड (6) और (8) देखिये]

विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक ..... 2009 को श्री .....प्रथम पक्ष तथा.....विश्वविद्यालय (जिसे आगे 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया, एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है:–

(1) विश्वविद्यालय एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..... को दिनांक.....से जब प्रथम, पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जिसकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण और छात्रों की परीक्षाओ का आयोजन, अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्य कलाप के संबंध में छात्र–कल्याण को प्रोत्साहन और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्येत्तर कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जायं, तथा ऐसे अधिकारियों की स्वयं को प्रस्तुत करता है जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–समय पर यथा अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप कार्य करेगा;

परन्तु, अध्यापक, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद् स्वविवेकानुसार परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष के लिए बढा सकती है।

(2) प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

(3) अध्यापक के पद का, जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान.....होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जबसे वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान मे.....रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा और वह जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती अवस्थाओं पर वेतन प्राप्त करेगा।

(4) प्रथम पक्ष का पक्षकार, जब यह करार प्रवृत्त हो, विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसके प्राधिकार के अधीन वह, उक्त अधिनियम के प्राविधानों या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

(5) प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–समय पर यथा अध्यापकों की आचार संहिता का पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

(6) किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र (एपरेट्स), अभिलेख और अन्य वस्तुयें, जो उसके अधिकार में हो, विश्वविद्यालय को वापस दे देगा।

(7) समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों वे इसमें प्रतिकृति हों और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

उपरोक्त के साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

.....
अध्यापक के हस्ताक्षर

.....
विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

1. .....

2. .....

स्पष्टीकरण–अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों, अध्यादेशों का उल्लंघन करके, की गई कोई नियुक्ति, अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग समझा जायेगा।

(3) विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लग सकता है;

परन्तु, यह कि यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणाम स्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथकतः देनदार होगा;

परन्तु यह भी कि कोई भी अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग होने की तारीख दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने की तारीख से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी बाद हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए उत्तदायी न होगा।

(4) परीक्षक द्वारा पारित अधिभार संबंधी आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को, जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के अंदर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्टि कर सकता है, उसे विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

(5) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनों से साठ दिन या ऐसे अग्रेत्तर समय के अन्दर, जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसी परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा;

परन्तु, यह कि यदि परिनियम 39 के खण्ड (4) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(6) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाएं तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।

(7) जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हों, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चों का भुगतान, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी विलम्ब के उसका भुगतान कर दे।

अध्याय–बारह

वार्षिक प्रतिवेदन

40–वार्षिक प्रतिवेदन [धारा 34 (2)]–

अधिनियम की धारा 34 के अनुसार तैयार की गई वित्तीय वर्ष विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय–तेरह

अध्यादेश और विनियम

41–अध्यादेशों और विनियमों की विरचना (धारा 32 और धारा 33)–

(1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे।

(2) इस परिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्य परिषद् समय–समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या परिनियम 41 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी;

परन्तु, यह कि ऐसा कोई अध्यादेश बनाया, संशोधित या निरसित नहीं किया जायेगा, जिससे–

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009 11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जून, 2009 ई0 (ज्येष्ठ 30, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 03, 2009

No. 87/UHC/Admin. A/2009--Sri Rakesh Kumar Mishra, Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag, will also be the Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

June 05, 2009

No. 88/UHC/XIV-91/Admin.A--Sri Seash Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag, is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 11.05.2009 to 20.05.2009 with permission to prefix 09.05.2009 & 10.05.2009 as 2nd Saturday & Sunday Holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

02 जून, 2009 ई0

पत्रांक 859/आयु0क0उत्तरां0/फार्म–अनु0/2009–10/अ10घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके,

मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री आर्चिड प्लाई इण्डस्ट्रीज लि0, नं0–07, सैक्टर–9, पन्तनगर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–10	UK-VAT--B 2009 146222 to 146231
2.	सर्वश्री न्यू ऐलेनबैरी वर्क्स, प्लाट नं0–62, सेक्टर–11, पन्तनगर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–09	UK-VAT--A--2007 1575721 UK-VAT--A--2007 1575722 UK-VAT--A--2007 1575639 UK-VAT--A--2007 223466 UK-VAT--A--2007 1575683 UK-VAT--A--2007 1575701 UK-VAT--A--2007 1619548 UK-VAT--A--2007 950984 UK-VAT--A--2007 1648710
3.	सर्वश्री टाटा जॉनसन ऑटोमोटिव लि0, प्लाट नं0–68, सैक्टर–11, पन्तनगर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–13	UK-VAT--A--2007 040453 UK-VAT--A--2007 218678 UK-VAT--A--2007 219137 UK-VAT--A--2007 229100 UK-VAT--A--2007 229105 UK-VAT--A--2007 229145 UK-VAT--A--2007 950747 UK-VAT--A--2007 950803 UK-VAT--A--2007 950922 UK-VAT--A--2007 808490 UK-VAT--A--2007 808458 UK-VAT--A--2007 808403 UK-VAT--A--2007 808387

वी0 के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, संभागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल संभाग, पौड़ी

आदेश

12 मई, 2009 ई0

पत्रांक 793/लाईसेंस/निलम्बन/2009–श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी ग्राम–सिंगोरी, पो0–सिंगोरी, पट्टी–कटुलस्यूँ, जिला पौड़ी गढ़वाल जिसका चालक लाईसेंस संख्या–8748/पी0/02, जो कि दिनांक 02–06–2011 तक वैध है का चालान वाहन संख्या यू0ए0 12–4795 मैक्सी कैब में 10 के स्थान पर 12 सवारी परिवहन करने के अपराध में दिनांक 01–05–09 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा किया गया था। वाहन चालक ने दिनांक 12–05–09 में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो कि संतोषजनक नहीं था।

अतः सुनवाई के उपरान्त लाईसेंस अधिकारी के रूप में, मैं, एम0एस0 रावत, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी इस प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेंस संख्या–8748/पी0/02 को दिनांक 12–05–09 से 11–06–09 की अवधि तक के लिए निलम्बित करता हूं।

एम0एस0 रावत,
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी,
पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/291–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।